## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
**सदस्य**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 853–तीन/05 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–3–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 196/अ–3/95–96. एवं पुर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक 1340–दो/06 विरूद्ध आदेश दिनांक30–5–06 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मण्डल, म0 प्र0 ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 922–दो/06

विनोद गौतम पिता जगदीश गौतम
निवासी ग्राम खजुराहो तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

राधेश्याम अग्रवाल पिता रामेश्वर अग्रवाल
निवासी सतना हाल मुकाम खजुराहो तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 के0 अवस्थी अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 29-9-2015 को पारित )

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ अभिलेखों के अनुसार निगरानी प्रकरण कमांक 853–तीन/05 से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं । भूमि खसरा नंबर 1838 स्थित ग्राम खजुराहो के पूर्व स्वामी लक्ष्मण धोबी आदि थे, जिसे गैर निगराकार ने 1978 में खरीदा एवं उस पर मकान, ट्यूबवेल आदि बनाकर काबिज रहा । इसके बाद 1993 के दो विकयपत्रों की प्रतियां अभिलेख में पाई जाती हैं । विकय पत्र दिनांक 15–3–1993 के माध्यम से खसरा नंबर 1838/1/1 कुल 0.045 हैक्टेयर में से 0.034 हैक्टेयर भूमि निगराकार विनोद गौतम ने कलूटा इत्यादि 5 व्यक्तियों से (जो सभी 'धोबी' नामक परिवार के थे) खरीदी । विकय पत्र दिनांक 15–4–1993 से निगराकार विनोद गौतम ने खसरा नंबर 1838/1/1 की 0.010 हैक्टेयर भूमि लक्ष्मण से खरीदी । इस प्रकार निगराकार विनोद गौतम के पास 0.044 हैक्टेयर भूमि खसरा नंबर 1838/1/1 की हुई, जिसकी प्रविष्टि वर्ष 94–95 के खसरा अभिलेख में तहसील के रिकार्ड में दिखती है । दोनों विकय पत्रों में निगराकार विनोद गौतम द्वारा कय की गई भूमियों की चौहद्दियों का विवरण नहीं लिखा मिलता है । इस खसरा अभिलेख के संलग्न नक्शा ट्रेस दिनांक 8–3–94 में लाल स्याही से 1831/1 बाबत् तरमीम पश्चिमी छोर की ओर हुई होनी दिखती है ।

दिनांक 28–2–95 को निगराकार विनोद गौतम द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त तरमीम की बजाय, राजनगर–बमौठा मुख्य मार्ग की निकट की भूमि की उसके हक में तरमीम की मांग, आवेदित भू–भाग पर अपना कब्जा बताते हुए, ऐसे कब्जे के आधार पर की । इसके विरूद्ध गैर निगराकार राधेश्याम ने 4–4–95 को तहसीलदार के समक्ष प्रथम आपत्ति की एवं 20–9–95 को विनय को दोहराया ।

उपरोक्त के प्रकाश में तहसीलदार, राजनगर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण कमांक 1/अ–3/95–96 में पारित उनके आदेश दिनांक 31–10–95 के माध्यम से निगराकार विनोद गौतम का आवेदन पत्र यह कहते हुए निरस्त किया गया कि निगराकार विनोद गौतम द्वारा भू–खण्ड के बीचों–बीच अपने हिस्से की तरमीम चाही जा रही है, एवं सिद्धांततः ऐसी स्थिति में तरमीम भूखण्ड के उत्तर–पश्चिम कोने से की जानी चाहिए ।

इसके बाद निगराकार विनोद गौतम द्वारा की गई प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर ने प्रकरण कमांक 7/अपील/95–96 में पारित आदेश दिनांक 20–5–96 द्वारा उनका अपील आवेदन निरस्त किया एवं द्वितीय अपील में अपर आयुक्त, सागर ने प्रकरण कमांक 196/अपील/अ–3/95–96 में दिनांक 1–7–99 के आदेश से उनकी अपील अस्वीकृत की । इसके विरूद्ध विनोद गौतम ने राजस्व मण्डल में निगरानी की, जहां के प्रकरण कमांक 1563–चार/99 में पारित आदेश दिनांक 15–4–2002 से प्रकरण अपर आयुक्त की ओर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के लिए प्रत्यावर्तित हुआ । अपर आयुक्त ने पूर्व प्रकरण कमांक 196/अपील/अ–अ/95–96 में पारित आदेश दिनांक 22–3–2005 से पुनः अपील निरस्त की । इसके उपरान्त राजस्व मण्डल में निगरानी प्रकरण कमांक 853–तीन/05 प्रस्तुत हुआ।

3/ रिव्यू प्रकरण कमांक–1340/दो/06 का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है । भूमि सर्वे कमांक–1838/1 के संबंध में राजस्व मण्डल ग्वालियर में निगरानी प्रकरण कमांक–922/दो/06 में पारित आदेश दिनांक–30.5.2006 के विरूद्ध यह रिव्यू प्रकरण दायर किया गया था । राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 922–दो/06 का संक्षेप इस प्रकार था कि निगराकार विनोद गौतम द्वारा तहसीलदार, राजनगर से दिनांक 5–8–2000 को खसरा नंबर 1838/1 पर 0.044 हैक्टेयर का तरमीम का आदेश प्राप्त किया गया था । अनावेदक राधेश्याम ने इसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के समक्ष की, जिसे अनुविभागीय अधिकारी

ने राधेश्याम के आवश्यक पक्षकार नहीं होने एवं अपील के अवधि बाह्य होने का आधार लेते हुये दिनांक 5–3–2004 को खारिज किया । अनावेदक राधेश्याम ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त, सागर के समक्ष की, जिसमें अपर आयुक्त, सागर ने 27–2–2006 को आदेश पारित किया । इसके विरूद्ध हुई निगरानी को राजस्व मण्डल ने दिनांक 30–5–2006 को अग्राह्य किया, जिसके अनुक्रम में यह रिव्यू प्रकरण उद्भूत हुआ है । इस रिव्यू प्रकरण एवं निगरानी प्रकरण कमांक 853–तीन/05 में वाद विषय एक ही है । वाद विषय एवं वाद बिन्दु समान होने से दोनों प्रकरणों में उभयपक्ष आभिभाषकों द्वारा एक साथ तर्क प्रस्तुत कर एक साथ ही निराकरण करने का भी निवेदन किया गया है । इस प्रकरण में भी निम्नानुसार तर्क प्रस्तुत किए गये हैं। विषय वस्तु तथा पक्षकार समान होने से इन दोनों प्रकरणों का निराकरण एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है ।

4/ आवेदक एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषकों के तर्क श्रवण किए गये, तथाउभयपक्ष अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किए गये ।

5/ आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से अंकित किया है कि:–
(1) सर्वे कमांक 1838/1 के नक्शे में तरमीम किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना की गई है, अधिकारिता रहित आदेश को स्थिर नहीं रखा जा सकता । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अधिकारिता रहित बिना किसी सक्षम अधिकारी के की गयी नक्शा तरमीत को सुधारने का दायित्व राजस्व न्यायालयों का है । इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती है, किन्तु वे अधिकार विहीन होने से राजस्व मण्डल को पुनरीक्षण में हस्तक्षेप करने की अधिकारिता है । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि विवादित भूमि से अनावेदक का कोई संबंध नहीं है । इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक को नक्शे में तरमीम करने की अधिकारिता नहीं है । यह अधिकारिता धारा 107 (5) में कलेक्टर को है

अथवा धारा 115–116 के अधीन तहसीलदार को है । आवेदक अभि. द्वारा यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के आदेश के पैरा क्रमांक–5 में अनावेदक द्वारा भूमि क्रय कर डायवर्सन कराये जाने का निष्कर्ष त्रृटिपूर्ण है, क्योकि अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक–1838/1 में से न भूमि क्रय की गयी है और न ही इस सर्वे क्रमांक का डायवर्सन ही कराया गया है, डायवर्सन वाली भूमि विवादित भूमि से भिन्न है । विक्रेता (गैर निगराकार) द्वारा निगराकार के कब्जे वाले स्थान के संबंध में शपथपत्र भी दिया गया है जिसका उसके द्वारा खण्डन नहीं किया गया है, अतः उसे अविश्वसनीय नहीं माना जाना चाहिए । यह भी बताया गया कि राजस्व मण्डल द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक–16.4.02 में यह स्पष्ट निर्देश दिए गये थे कि आवेदक का स्थल पर वास्तविक कब्जा कहा है इस बिन्दु पर विचार किया जाये । ऐसी स्थिति में तदनुसार ही नक्शा तरमीम अर्थात नक्शा में पूर्व में की गयी तरमीम को शुद्ध किया जाना चाहिए था । आवेदक अभिभाषक द्वारा अंत में यह बताया गया कि दोनो ही प्रकरण (रिव्यू.क्रमांक–1340/दो/2006 एवं निग.–853/तीन/05) सर्वे क्रमांक–1838/1 के नक्शे में तरमीम से संबंधित है । नक्शे में की गयी अवैध तरमीम को सुधारे जाने का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन करते हुए दोनों ही प्रकरणों में एक साथ निराकरण करने का अनुरोध किया गया । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही बिन्दु उठाये गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उठाये गये थे जो अधीनस्थ न्यायालयों की प्रकरण पत्रिकाओं एवं जारी आदेशों में वर्णित है, जिन्हें यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को के समर्थन में 1989 राजस्व निर्णय 205, 318, 1987 राजस्व निर्णय 304, 118, 2010 राजस्व निर्णय 142, 1991 राजस्व निर्णय 8, 1988 राजस्व निर्णय 308, 1986 राजस्व निर्णय 208, 190 एवं 1966 राजस्व निर्णय 303 उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों का उल्लेख अपने लिखित तर्को में किया गया है किन्तु न्यायसिद्धांतो की प्रतियां उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

6/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अनावेदक अभि0 द्वारा प्रकरण के मूल तथ्यों का हवाला लेते हुये यह बताया गया कि आवेदक विनोद कुमार एक तो अनावेदक के बाद का क्रेता है, दूसरा विक्रय पत्र में कोई चतुर्सीमा नही हैं, जिससे यह ज्ञात किया जाना संम्भव हो सके कि उसकी भूमि की चतुर्सीमा क्या है । विनोद कुमार आवेदक द्वारा विक्रय पत्र में चतुर्सीमा अंकित न होने का गलत फायदा लेते हुए अपनी रिकार्ड में दर्ज भूमि नंबर 1838/1 के तरमीम बाबत् आवेदन तहसीलदार राजनगर के न्यायालय में पेश कर आवेदक के कब्जे बाली भूमि पर नक्शा तरमीम कराने का दूषित प्रयास किया गया जो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निरस्त किया गया।नक्शा तरमीम सुधार का जो आवेदन विनोद कुमार ने पेश किया उस आवेदन में जहां पर वह काबिज था उससे हटकर जहां अनावेदक वर्ष 1978 से काबिज था एवं जहां अनावेदक की बाउन्ड्री, आबादी, निस्तार, पेड़–पौधे, टयूबवेल, बाग–बगीचे, पानी की टंकी आदि हैं, उस स्थान पर (विनोद गौतम ने) नक्शा तरमीम कराने का प्रयास किया, जिसमें वह असफल रहा है । तहसीलदार राजनगर द्वारा मौके पर जांच कराने पर पाया गया कि निगराकार विनोद गौतम जहां नक्शा तरमीम कराना चाहता है वहां पर वह काबिज नहीं है, बल्कि अनावेदक वर्ष 1978 से काबिज है । लिहाजा तहसीलदार राजनगर द्वारा आवेदक विनोद गौतम का आवेदन आदेश दिनांक 31–10–95 को खारिज कर दिया । इसके अतिरिक्त अनावेदक अभिभाषक द्वारा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 द्वारा पारित आदेश दिनांक–20.11.09 एवं अपर जिला न्यायाधीश छतरपुर के आदेश दिनांक–7.9.11 की छाया प्रतियां लिखित तर्क के साथ प्रस्तुत की गयीं । इनके अनुसार आवेदक द्वारा तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 छतरपुर के न्यायालय में प्रकरण कमांक 256/ए/2008 पेश किया गया था, जिस में दिनांक–20–11–09 को दीवानी न्यायालय द्वारा अपने विधिसम्मत निर्णय में डिक्री पारित करते हुए लिखा गया कि 'वादी विनोद गौतम द्वारा जिस स्थान के लिये मामला दायर किया गया है उस विवादित भूमि का ना तो वादी (विनोद गौतम) स्वत्व व

आधिपत्य धारी है और ना ही वादी जहां अपनी भूमि बता रहा है वह भूमि वादी की है, बल्कि वह भूमि प्रतिवादी यानी अनावेदक की है ।' उक्त दीवानी न्यायालय के निर्णय व डिक्री के खिलाफ वादी/अनावेदक द्वारा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश छतरपुर श्री डी0 के0 पालीवाल के न्यायालय में सिविल अपील कमांक 1/ए/10 पेश की गई, जहां अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 7–9–11 में माना कि विवादित भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी विनोद गौतम नहीं है बल्कि अनावेदक/प्रतिवादी है । मेरे समक्ष तर्क में अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि सिविल दीवानी न्यायालय के निष्कर्ष/निर्णय राजस्व न्यायालय पर पूर्णरूपेण बंधनकारी हैं व सिविल कोर्ट के निष्कर्ष के बाद राजस्व न्यायालय को ना तो उस बिन्दु पर कोई जांच करने की और ना ही अपनी अलग राय रखने की अधिकारिता है । उपरोक्त तर्को के अतिरिक्त उनके द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जो अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं न्यायिक आदेशों में वर्णित हैं जिन्हें यहां दोहराये जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु विचार में लिया जावेगा ।

तर्क के समर्थन में 1993 राजस्व निर्णय 138, 1997 राजस्व निर्णय 406, 2006 राजस्व निर्णय 375 एवं 1999 राजस्व निर्णय 416 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में मेरे द्वारा अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । अभिलेख अवलोकन से तहसीलदार राजनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक–31.10.95 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि आवेदक के विक्रय पत्र दिनांक–15.3.93 में विक्रीत भूमि की कोई चतुरसीमा अंकित न होकर सिर्फ सर्वे कमांक–1838/1 का हिस्सा 3/4 रकवा 0.034 है0 अंकित है । जवकि आवेदक सर्वे कमांक–1838 के बीच में अपने हिस्से की नक्शे में तरमीम चाहता है जो संम्भव नहीं है क्योंकि नियमानुसार किसी भी खसरे के बटे नम्बर तथा नक्शे में नम्बरिंग उत्तर पश्चिम सीमा से प्रारम्भ होकर दक्षिण पूर्व सीमा पर समाप्त होती है । उपरोक्त परिस्थितियों में आवेदक द्वारा कय की गयी भूमि खसरा

क्रमांक–1838/1 की तरमीम विवादित सर्वे नम्बर के बीच में नहीं उठायी जा सकती। यह भी विचारणीय है एक तरफ तो आवेदक अभिभाषक का यह तर्क है कि पूर्व में की गयी नक्शा तरमीम में सुधार किया जावे, दूसरी तरफ उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि नक्शा दुरूस्ती के अधिकार कलेक्टर को हैं जो स्वयं ही विरोधाभासी होने से स्वीकार योग्य नहीं है । यहां यह तथ्य विशेष कर ध्यान देने योग्य है कि सर्वे नम्बर 1838 एक है, नक्शा तरमीम में इस सर्वे नम्बर की सीमाएं नहीं बदली गयी हैं । बल्कि विवादित सर्वे नम्बर में बटांकन द्वारा जो खसरे में बटा नम्बर कायम किए गये है उन बटे नम्बरों के आधार पर नियमानुसार निर्धारत सीमा के अंदर हिस्सेदारों के हिस्से के मान से नक्शे में लाइन डालकर भाग चिन्हित किए गये है जिसे नक्शे पर तरमीम करने के अधिकार तहसील न्यायालय को है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक–31.10.95 विधि अनुकूल है जिसे स्थिर रखने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई भूल नहीं की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.5.96 तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.5.03 से प्रकरण में विद्यमान तथ्यों की विस्तृत विवेचना कर समवर्ती एवं वैधानिक निष्कर्ष निकाले गये है जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय के आदेशों का अवलोकन किया गया जिनमें भी आवेदक को विवादित भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं माना गया है । सिविल न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होते हैं ।

जहां तक निगराकार द्वारा लिखित तर्क में उठाए गए शेष बिन्दुओं का प्रश्न है, तो उनका उत्तर सिविल न्यायालयों के आदेशों के प्रकाश में स्व–स्पष्ट हो जाता है, जहॉ सिविल न्यायालयों द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि "विनोद गौतम सर्वे क्रमांक 1838/1 रकबा 0.044 है का स्वामी तो है, लेकिन वाद पत्र में दर्शाई गई विवादित भूमि का स्वामी नहीं है तथा ना ही उस भूमि पर उसका अधिपत्य है"। सिविल न्यायालयों के ये निर्णय राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी हैं । अतः, इनके

प्रकाश में निगराकर्ता के तर्क के शेष बिन्दुओं के उत्तरों की आवश्यकता इस प्रकरण में बाकी नहीं रहती है ।

8/ उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में निर्विवाद रूप से इस बिन्दु की पुष्टि होती है कि आवेदक विवादित भूमि का स्वत्व व आधिपत्यधारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा सिविल न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में निगरानी प्रकरण कमांक–853–तीन/2005 निराधार होने से समाप्त किया जाता है, अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश दिनांक–22.3.2005 विधिसम्मत होने से स्थिर रखा जाता है तथा यह निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

9/ जहां तक रिव्यू प्रकरण कमांक 1340–दो/06 का प्रश्न है, इस प्रकरण में राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 922–दो/06, आयुक्त, सागर का आदेश दिनांक 27–2–06 उचित एवं विधिसम्मत पाए जाने से, अग्राह्य किया गया है। आयुक्त, सागर द्वारा उनके अपील प्रकरण कमांक 129/अ–6/अ/03–04 में आदेश दिनांक 27–2–2006 में यह पाया गया कि निगराकार विनोद गौतम के पक्ष में जो दिनांक 5–8–2000 को तहसीलदार द्वारा तरमीम सुधार स्वीकृत किया गया था, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 5–3–2004 द्वारा (गैर निगराकार को हितबद्ध पक्षकार नहीं मानने के आधार पर) निरस्त किया, ... ये दोनों आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि राजस्व मण्डल के समक्ष इस ही वाद विषय पर निगरानी प्रकरण कमांक 1563–चार/99 प्रचलित था । [ तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 5–8–2000 पारित करने के समय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण कमांक 1563–चार/99 प्रचलित था तथा अपर आयुक्त के समक्ष इसी वाद विषय पर राजस्व मण्डल से प्रत्यावर्तन उपरान्त प्रकरण कमांक 196/अपील/अ–3/95–96 अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 5–3–2004 पारित किए जाने के समय प्रचलित था] । आयुक्त सागर ने अपने

आदेश दिनांक 27–2–06 में (पूर्व में उल्लिखित) तहसीलदार के आदेश दिनांक 31–10–95 तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20–5–96 का हवाला लेते हुए, अपने निर्णय के आधारों को स्पष्ट किया है । जहां तक राजस्व मण्डल के निगरानी प्रकरण कमांक 922–दो/06 में निगराकार विनोद गौतम द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों के प्रथम पैरा में यह लिखा जाने का प्रश्न है कि "मौके पर जॉच की जाकर तहसीलदार द्वारा उनके प्रकरण कमांक 22/अ–6–अ/99–2000 में दिनांक 5–8–2000 को तरमीम सुधार का आदेश पारित किया गया, तो एक तरफ तो इस संबंध में आयुक्त, सागर द्वारा उनके आदेश दिनांक 27–2–2006 में कोई आधार अथवा अभियुक्ति नहीं उल्लिखित की गई है, वहीं दूसरी तरफ दिवानी न्यायालय के निर्णय इस संबंध में स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं । उपरोक्त आधारों पर एवं ऊपर उल्लिखित बिन्दुओं तथा दीवानी न्यायालयों के निर्णयों के प्रकाश में, यह रिव्यू प्रकरण भी इसी स्तर पर खारिज करते हुए समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो ।

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**
**राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश,**
**ग्वालियर**